बिहार स्टेट फूड एण्ड सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन, लि०,
"खाद्य भवन", दारोगा राय पथ, आर०ब्लॉक, रोड नं० 2, पटना 800001

कार्यालय आदेश

श्री फुलकांत मिश्रा,सहायक लेखापाल,राज्य खाद्य निगम,भागलपुर सम्प्रति सेवा निवृत के विरूद्ध अनाधिकृत रूप से कार्य स्थल से अनुपस्थित रहने अपने कार्यो के प्रति लापरवाही, अनुशासनहीनता एवं मनमानेपूर्ण कार्य करने संबंधी आरोप के लिए आरोप पत्र प्रपत्र 'क' गठित कर निगम मुख्यालय के ज्ञापांक 5339 दिनांक 28.5.18 के द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालन का निर्णय लेते हुए जिला प्रबंधक, बेतिया को संचालन पदाधिकारी तथा अपर जिला प्रबंधक, जनवितरण,राज्य खाद्य निगम, भागलपुर को उपस्थापन पदाधिकारी नामित किया गया।

2. जिला प्रबंधक,राज्य खाद्य निगम,बेतिया-सह-संचालन पदाधिकारी द्वारा अपना जाँच प्रतिवेदन पत्रांक 490 दिनांक 30.04.2019 के द्वारा समर्पित किया गया जिसमें श्री मिश्र के विरूद्ध लगाया गया आरोप **प्रमाणित** प्रतिवेदित किया गया। **संचालन पदाधिकारी द्वारा आरोपवार निष्कर्ष निम्नवत है-**

आरोप सं0 1-निष्कर्ष- श्री फुलकांत मिश्रा,तत्कालीन लेखापाल,राज्य खाद्य निगम, भागलपुर को निगम मुख्यालय के ज्ञापांक 2680 दिनांक 03.03.2015 के द्वारा राज्य खाद्य निगम गोपालगंज स्थानांतरित किया गया। उक्त के आलोक में जिला कार्यालय भागलपुर के पत्रांक 806 दिनांक 09.03.2015 के द्वारा श्री मिश्रा को गोपालगंज के लिए विरमित कर दिया गया। दिनांक 09.03.2015 से ही श्री मिश्रा जिला कार्यालय भागलपुर में अनुपस्थित रहें हैं। श्री मिश्रा के लम्बे समय से लगातार अनुपस्थित रहने के कारण मुख्यालय ज्ञापांक 151 दिनांक 09.01.2017 के द्वारा अपने कार्य पर योगदान करने का निदेश दिया गया, लेकिन उनके द्वारा अपने कार्य पर योगदान नहीं किया गया। अर्थात् श्री मिश्रा न तो भागलपुर में ही कार्यरत रहे नहीं गोपालगंज में। अर्थात् श्री मिश्रा अपने कार्यो से दिनांक 09.03.2015 से ही लगातार अनुपस्थित रहे हैं। तदनुसार श्री मिश्रा के विरूद्ध अनाधिकृत रूप से अपने कार्य स्थल से अनुपस्थित रहने,अपने कार्यो के प्रति लापरवाही, अनुशासनहीनता एवं मनमाने पूर्ण कार्य करने संबंधी आरोप है।

श्री मिश्रा को अपना बचाव पत्र समर्पित करने हेतु छः बार अवसर दिया गया, परन्तु इनके द्वारा अपना बचाव पत्र नहीं समर्पित किया गया। तदनुसार श्री मिश्रा को अपना बचाव पत्र समर्पित करने हेतु प्रेस विज्ञपति के माध्यम से भी सूचित किया गया,परन्तु इनके द्वारा न तो अपना बचाव पत्र समर्पित किया गया न ही किसी भी सूनवाई में उपस्थित हुए।

छः बार सुनवाई का मौका दिये जाने के बावजूद आरोपी कर्मी **श्री फुलकान्त मिश्रा द्वारा अपना कोई बचाव पत्र समर्पित नहीं किया गया।** इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि गठित आरोप के संबंध में आरोपी को कुछ नहीं कहना है। **बचाव पत्र समर्पित नहीं किये जाने से आरोप स्वतः प्रमाणित हो जाते हैं।** इसके अलावे जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, भागलपुर के आदेश ज्ञापांक 2023 दिनांक04.06.15(साक्ष्य-A) को पढ़ने से यह स्पष्ट होता है कि आरोपी कर्मी को अपना सम्पूर्ण प्रभार श्री कुमार सौरभ कलस्टर इंचार्ज,- भागलपुर को सौपंने का आदेश दिया

गया,किन्तु जिला प्रबंधक, भागलपुर के पत्रांक1002 दिनांक01.06.17 **(साक्ष्य–B)**के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि **आदेश के 02 वर्ष बीत जाने के बावजूद भी श्री मिश्रा द्वारा अपने पटल का सम्पूर्ण प्रभार नहीं सौपा गया,** जो नियंत्री पदाधिकारी के आदेश की अवहेलना की सम्पुष्टि करता है। इसके अलावे जिला प्रबंधक भागलपुर के पत्रांक 410 दिनांक 18.04.18**(साक्ष्य-C)**तथा पत्रांक 1099 दिनांक 14.08.18 (साक्ष्य **D**) के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि **03 वर्ष बीत जाने के बावजूद श्री मिश्रा द्वारा अपने पटल का प्रभार श्री कुमार सौरभ को सौपा नहीं जाता है कि**
03वर्ष
बीत जाने के के बावजूद श्री मिश्रा द्वारा अपने पटल का प्रभार श्री कुमार सौरभ को सौपा
नहीं गया तथा वर्ष2007 में विभिन्न डिलरों से 2344073.26 रू0 का बैंक ड्राफ्ट प्राप्त कर अगले 02वर्षो तक निगम के खाते में जमा नहीं किया गया।

इसके अलावे जिला प्रबंधक भागलपुर के पत्रांक 596 दिनांक 19.02.15 **(साक्ष्य E)** के अवलोकन से साफ स्पष्ट हो जाता है कि श्री मिश्रा एक अनुशासनहीन एवं कर्तव्यहीन कर्मी है। उक्त पत्र में यह वर्णित है कि-"श्री मिश्रा की अकर्मण्यता के कारण लेखा-शाखा अस्त व्यस्त स्थिति में है। हथालन विपत्र से लेकर लेखा का कार्य इनके द्वारा यह कहकर नहीं किया जाता है कि यह सारा कार्य सनदी लेखापाल द्वारा किया जाता हैं पत्रांक 4024 दिनांक 19.12.14 से कार्य बंटवारा के तहत लेखा संबंधी कार्य निर्वहण करने का आदेश दिये जाने के बावजूद श्री मिश्रा द्वारा इसका अनुपालन नहीं किया जाता है। निदेश देने पर अद्योहस्ताक्षरी के साथ-साथ अन्य कर्मियों से उलझ जाते है। इनके द्वारा कार्य नहीं करना एवं कार्य में बाधा पहूँचाने का कार्य किया जाता है।"

इसके अलावे निगम मुख्यालय के पत्रांक 2686 दिनांक 03.03.15**(साक्ष्य F)** के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि श्री मिश्रा को भागलपुर से स्थानांतरित करते हुए गोपालगंज में पदस्थापित किया गया, किन्तु जिला प्रबंधक, गोपालगंज के पत्रांक 411 दिनांक14.07.18**(साक्ष्य G)** के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि **श्री मिश्रा द्वारा 03 वर्ष बीत जाने के बाद भी गोपालगंज में योगदान नहीं किया गया है,जो नियंत्री पदाधिकारी/ उच्चाधिकारी के आदेश की अवहेलना की चरम पराकाष्ठा है।**

अतएव(साक्ष्य A से G तक) तथा उपस्थापन पदाधिकारी के मंतव्य के आधार पर **श्री मिश्रा के विरूद्ध लगाये गये सारे आरोप पूर्णतः प्रमाणित होते है।**

3. श्री मिश्रा के विरूद्ध प्रमाणित उक्त आरोप के लिए निगम पत्रांक 6399 दिनांक 21.6.19 के द्वारा निबंधित डाक से द्वितीय बचाव अभिकथन की मांग की गयी तथा प्रेस विज्ञप्ति जिसका PR No. 03299(NI NI) 2019-20 है, के द्वारा भी श्री मिश्रा को द्वितीय बचाव अभिकथन समर्पित करने का निदेश दिया गया, परन्तु श्री मिश्रा द्वारा द्वितीव बचाव अभिकथन नहीं समर्पित किया गया।

4. इस प्रकार उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में श्री मिश्रा के विरूद्ध गठित आरोप पत्र प्रपत्र 'क' संचालन पदाधिकारी से प्राप्त मंतव्य संचिका में उपलब्ध साक्ष्यों के समीक्षोपरान्त स्पष्ट है कि श्री मिश्रा भागलपुर जिला से स्थानांतरण के

बाद गोपालगंज जिला में योगदान नहीं किये एवं इनके द्वारा अपना प्रभार लंबी अवधि बीत जाने के बावजूद भी नहीं समर्पित किये। श्री मिश्रा लंबे समय तक लगातार अनाधिकृत अनुपस्थित रहे है, जिससे निगम का कार्य प्रभावित हुआ है। श्री मिश्रा के विरूद्ध लगाये गये आरोप यथा अनाधिकृत रूप से अपने कार्यस्थल से अनुपस्थित रहने, अपने कार्यो के प्रति लापरवाही,अनुशासनहीनता एवं मनमानेपूर्ण कार्य करने संबंधी आरोप प्रमाणित होता है।

निगम एक व्यापारिक संस्था है जिसके आधार पर सरकार के द्वारा संचालित गरीबी उन्नमूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत बड़ी मात्रा में खाद्यान्नों का उठाव एवं वितरण की जिम्मेवारी है। इसके सभी स्तर के कर्मिकों से उच्च स्तर की Integrity, इमानदारी की आशा की जाती है। श्री मिश्रा का उक्त कृत्य निगम के सेवा शर्त का पूर्ण उल्लंघन है।

5. श्री मिश्रा के विरूद्ध अनाधिकृत रूप से अपने कार्यस्थल से अनुपस्थित रहने, अपने कार्यो के प्रति लापरवाही,अनुशासनहीनता एवं मनमानेपूर्ण कार्य करने संबंधी प्रमाणित आरोपों के लिए संचालित उक्त विभागीय कार्यवाही को समाप्त करते हुए श्री मिश्रा के विरूद्ध निम्न दण्ड अधिरोपित की जाती है–

(i) श्री मिश्रा को भुगतेय होने वाली भविष्य निधि को छोड़कर शेष सेवा निवृति लाभ को जब्त करने की शास्ति अधिरोपित की जाती है।

ह0/–
प्रबंध निदेशक

ज्ञापांकः–3:02:14:01:2017 8975 दिनांक– 24/11/20

प्रतिलिपि– श्री फुलकांत मिश्रा,तत्कालीन लेखापाल,राज्य खाद्य निगम, भागलपुर पता–पिता–मधुसुदन मिश्रा,ग्राम+पोस्ट+थाना–हसनपुर,जिला समस्तीपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि– जिला प्रबंधक,राज्य खाद्य निगम, भागलपुर/गोपालगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि अधिरोपित उक्त शस्ति का प्रविष्टि श्री मिश्रा के सेवा पुस्तिका में करना सुनिश्चित की जाय।

प्रतिलिपि– सभी मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक/उप महाप्रबंधक, निगम मुख्यालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि– प्रभारी कन्ट्रॉल रूम/आई0टी0 प्रबंधक,निगम मुख्यालय, पटना को निगम बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

24/11/20
प्रबंध निदेशक